आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक–25.08.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की बैठक की कार्यवाही :–

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर की अनुमति से संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुरूप।

- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक–**22.07.2026** को सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में अनुवर्त्ती कार्रवाई करते हुए अनुपालन किया जा रहा है।
- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा बस के स्थायी परमिट एवं अन्य मामले हेतु कुल 76 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए हैं। सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण–पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जाँच कार्यालय द्वारा कर ली गई है। कार्यालय द्वारा तैयार कार्यावली में वाहनों की विवरणी/समय सारणी/मार्ग/दूरी/प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की संख्या आदि की विवरणी भी अंकित है। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए जिसका विवरण अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित हैः–

<u>दिनांक–25.08.2026 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन</u>

कार्यवाही संख्या – 01

प्राधिकार की बैठक दिनांक– 22.07.2026 का लंबित संशोधित समय–सारणी।

क्र0 सं0	वाहन सं0/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
1	BR09PA-9737 (30.01.2025) श्री प्रितम कुमार, पिता–श्री सुदर्शन सहनी, पता–विशनपुर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–07.07.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–**MPPY2051** डंडारी प्रखण्ड से खगड़िया डुमरी भाया–बलिया, साहेबपुर कमाल, कुरहा, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, कडुआ मोड़ एवं उसराहा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–27.01.27 फिटनेश–29.01.27 बीमा–16.01.27 प्रदूषण–03.02.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेश कुमार के द्वारा वाहन सं0–**BR09PA-9737** मार्ग डंडारी से खगड़िया डुमरी के संशोधित समय–सारणी पर एवं प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–22.07.2026 पर लिए गए निर्णय के संबंध में निम्न बातें कही गयी है :– शैलेश कुमार इस प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर वाहन का परिचालन अपने निर्धारित मार्ग पर सवारी की सुविधा हेतु करता हूँ। मेरी वाहन मार्ग बेलदौर से खगड़िया पर परिचालित होती है और मेरे मार्ग में बेलदौर से खगड़िया के बीच डुमरी, इसराहा, महेशखूंट, मानसी एवं खगड़िया आता है। श्रीमान् वर्ष 2023 में पहली बार प्रखंड से जिला मुख्यालय तक वाहन परिचालन हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को लाया गया जिसमें लाभुक को प्रति वाहन 05 लाख रूपये तक की सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। पुनः सरकार के द्वारा उसी योजना के तहत वाहन परिचालन के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वाहन सिर्फ प्रखंड से उसी जिला मुख्यालय तक	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या **MPPY2051** के तहत् डंडारी प्रखण्ड से खगड़िया डुमरी है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या सामान्य है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ यह मामला पूर्णतः मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना (**MPPY**) के अन्तर्गत आच्छादित है तथा आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेश कुमार का निर्गत परमिट सामान्य मार्ग पर परिचालित है। आवेदक श्री प्रितम कुमार को बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार एवं सुलभ परिवहन हेतु रू 5,00,000/–(पाँच लाख रूपये) का अनुदान (Subsidy) प्राप्त हुआ है। यह वाहन सामान्य व्यवसायिक वाहनों से भिन्न, एक कल्याणकारी योजना का हिस्सा है। धारा 68(3)(**Ca**) (**MV Act, 1988**) धारा के तहत् बिहार सरकार को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह 'मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना' जैसी जनहित की योजनाओं के लिए मार्ग (**Route**) निर्धारित है और वाहन पोर्टल पर मार्ग

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				परिचालित होगी। तदनुसार सरकार के द्वारा मार्ग का निर्धारण कर अधिसूचित किया गया है जिसको मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन मार्ग के रूप में धारा 68(3)(**Ca**) मोटर वाहन अधिनियम के तहत् अधिसूचित किया गया है। यहाँ यह प्रासंगिक है कि सरकार को मार्ग निर्धारण की शक्ति प्राप्त है परन्तु सरकार को उक्त धारा के अन्तर्गत स्पेशल मार्ग के रूप में किसी मार्ग को अधिसूचित करने की कोई शक्ति नहीं है फिर भी मार्ग का निर्धारण किया गया है और उक्त के अनुरूप परिवहन प्राधिकारों के द्वारा परमिट स्वीकृत किया जा रहा है। पुनः मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत् बसों के परिचालन मार्गों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय एवं लाभुकों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण सरकार के द्वारा दिनांक–11.12.2024 को पुनः पत्र निर्गत कर परिचालन मार्ग के संबंध में स्पष्ट निर्णय निर्देश दिया गया है जो निम्न है :– (क) लाभुक वाहन का परिचालन अपने प्रखंड से होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक के लिए परिवहन विभाग के अधिसूचित मार्ग का चयन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। परमिट देते समय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बस का ठहराव उस प्रखंड मुख्यालय में अवश्य हो जहाँ के लिए उक्त योजनान्तर्गत लाभुक का चयन किया गया है। (ख) यदि लाभुक द्वारा कोई नया मार्ग हेतु आवेदन किया जाए तो उनके प्रखंड मुख्यालय से होते हुए जिला मुख्यालय/निकटवर्ती जिला मुख्यालय को जाता हो नया मार्ग को अधिसूचित करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार लाभुक से प्राप्त आवेदन के आधार पर मार्ग निर्धारण कर सहमती हेतु पत्र परिवहन विभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करेंगे। वर्तमान मामले में आवेदक श्री प्रीतम कुमार ने बेगूसराय जिलान्तर्गत डंडारी प्रखंड से उक्त योजना के तहत् एक वाहन सं0– **BR09PA-9737** का क्रय किया और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडी के रूप में 5 लाख	की कुल दूरी 62 किमी0 अधिसूचित है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 14344, दि0–11.12.2024 द्वारा 'मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना' के तहत् बसों के सुचारू रूप से परिचालन और मार्ग निर्धारण के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त पत्र कंडिका (क) एवं (ख) के आलोक में लाभुक वाहन का परिचालन अनिवार्य रूप से उनके संबंद्ध प्रखंड (डंडारी) से होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक के लिए एवं बस का ठहराव उस प्रखंड मुख्यालय में अवश्य हो जहाँ के लिए उक्त योजनान्तर्गत लाभुक का चयन किया गया है। आपत्तिकर्त्ता की आपत्ति मुख्य रूप से पूर्व से संचालित वाहनों के व्यवसायिक हितों को लेकर है। परन्तु विभागीय पत्रांक–14344, दि0–11.12.2024 के प्रावधानों के तहत् सरकार को प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ना है। चूँकि आवेदक का मार्ग (डंडारी प्रखंड से खगड़िया, डुमरी भाया–बलिया, साहेबपुर कमाल, कुरहा, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, कड्आ मोड़ एवं उसराहा) सरकार द्वारा निर्धारित योजना के अनुकूल प्रतीत होता है। अतः आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				रूपया प्राप्त किया। उनके द्वारा इस प्राधिकार के समक्ष उक्त वाहन के पक्ष में एक स्थायी परमिट सरकार द्वारा अधिसूचित मार्ग संख्या **MPPY** डंडारी प्रखंड से खगड़िया, डुमरी भाया–बलिया, साहेबपुर कमाल, कुरहा, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, करूआमोड़ एवं उसराहा पर आवेदन दाखिल किया है। चूँकि प्रथम दृष्टिया वर्तमान मार्ग अपने प्रखंड से अपने जिला मुख्यालय तक नहीं जा रही तो मैंने एवं अन्य वाहन स्वामी ने उक्त के संबंध में अपनी–अपनी आपत्ति दाखिल किया था। बैठक के दौरान मामले की सुनवाई के समय जब इस बात को महोदय के समक्ष रखा गया कि वाहन अपने प्रखंड से जिला मुख्यालय तक नहीं जा रही है जिससे सरकार के उक्त योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो बैठक के दौरान ही पुनः परिवहन विभाग के द्वारा पत्रांक–14344, दि0– 11.12. 2024 को प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया है कि वाहन अपने प्रखंड से या होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक जाएगी, मेरी एवं अन्य वाहन स्वामी की आपत्ति को नहीं सुना गया तथा प्राधिकार के द्वारा निर्धारित ठहराव समय ज्यादा होने के कारण आवेदक को पुनः संशोधित समय–सारणी दाखिल करने का आदेश दिया गया है। परन्तु सरकार के द्वारा वर्ष 2023 एवं उसके बाद पुनः उक्त योजना के तहत् क्रय किये गये वाहन के परिचालन मार्ग निर्धारण करने के संबंध में लिए गए दिनांक–11.12.2024 के निर्णय में कही से भी उक्त योजना के तहत प्राप्त की गई वाहन को प्रखंड से या होकर अपने जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक ही जाने का ओदश/निर्देश है, परन्तु उक्त मार्ग निकटवर्ती जिला मुख्यालय से आगे सुदूर देहात के क्षेत्र में जा रही है जो सरकार के उक्त सभी आदेशों/निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। आवेदक सिर्फ अपने जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक ही जा सकते हैं यानी की आवेदक या तो अपने प्रखंड से या होकर अपने जिला बेगूसराय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				खगड़िया तक ही वाहन का परिचालन कर सकते हैं एवं उसी अनुरूप मार्गों पर परमिट प्राप्त किया जा सकता है और अगर उक्त दोनों बातों को इस मार्ग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है तो वाहन स्वामी पुनः मार्ग निर्धारण के लिए प्राधिकार को आवेदन दे सकते हैं जिसे प्राधिकार सरकार के समक्ष मार्ग निर्धारण हेतु उक्त प्रस्ताव को भेज कर मार्ग अधिसूचित करा सकते हैं। उक्त के आलोक में पुनः महोदय से निवेदन है कि इस मामले पर सम्यक विचारोपरांत ही कोई कानूनसम्मत निर्णय लेने की कृपा करें क्योंकि आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन से सरकार के द्वारा निर्धारित कोई शर्त्त पूर्ण नहीं हो पा रही है और इस प्रकार अगर आवेदक के आवेदन पर विचार कर परमिट स्वीकृति का निर्णय लिया जा सकता है तो वह कानून के विपरीत हो जाएगा। अतः न्यायहित में उक्त परमिट आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय।	
2	BR21G-9504 (28.02.2014) श्री राम शंकर कुमार, पिता–श्री रमाधर सिंह, पता–धरसेमी, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–07.07.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–282, बेगूसराय से आढ़ामोड़। भाया–पिपरा, हथिदाह, बरहिया, विद्यापीठचौक, लखीसराय बाजार समिति, रामगढ़, सिकन्दरा एवं अलीगंज। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–20.11.26 बीमा–21.02.27 प्रदूषण–06.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
3	BR11T-2984 (05.03.2014) श्री अमरजीत कुमार, पिता–श्री सिन्टू कुमार, पता–फतेहपुर, प्रतापपुर, जिला–लखीसराय ।	प्रकाशन–07.07.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–282, बेगूसराय से आढ़ामोड़। भाया–पिपरा, हथिदाह, बरहिया, विद्यापीठचौक, लखीसराय बाजार समिति, रामगढ़, सिकन्दरा एवं अलीगंज। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–02.09.26 फिटनेश–10.12.26 बीमा–18.02.27 प्रदूषण–07.08.26 / 14.08.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

4	BR09PA-9009 (25.06.2019) श्री आशीष कुमार रंजन, पिता–श्री विजय सिंह, पता–पंहाज, सुहिद्रनगर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–07.07.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3169 डाउन, बेगूसराय से अगुवानी। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता, नयागॉव एवं कबैला। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–24.09.26 फिटनेश–17.12.27 बीमा–22.05.27 प्रदूषण–04.12.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री बुलबुल कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR10PB-9302** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता का वाहन सं0–**BR09PA-9009** का मार्ग संख्या 3169 डाउन बेगूसराय से अगुवानी घाट पर समय–सारणी का प्रकाशन हुआ है। उसमें मार्ग की दूरी कितना किमी0 है, टोटल दूरी कितना किमी0 है एवं एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाने में कितना समय लेगा एवं कितना किमी0 की दूरी है वह नहीं दर्शाया गया है। कबेला और नयागॉव में नन स्टॉप लिखा गया है जो कि पीछले माह 22.07.2026 की बैठक में निर्णय लिया गया है कि नन स्टॉप नहीं लिखा जायेगा **(i)** गतिसीमा का उल्लंघन है। कबेला से अगुवानी घाट की दूरी 12 किमी0 है जो कि 05 मिनट में तय करते हैं। कबेला से अगुवानी घाट की दूरी भी नहीं दर्शाया गया है। **(ii)** मैं अपने वाहन सं0–**BR10PB-9302** का अगुवानी से प्रस्ताव समय 10:10 दिए हैं और इनका भी समय अगुवानी. घाट से 10:10 है। इन्होंने गतिसीमा का उल्लंघन करते हुए यह समय–सारणी का प्रकाशन किए हैं। इनके आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय। साक्ष्य संलग्न है। मेरा आवेदन सं0–39 है। इनका आवेदन सं0–56 है। वरीयता के अनुसार क्रम सं0 में आगे हैं। इनको पहले एक मौका दिया गया है।	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
5	BR09H-4633 (04.04.2011)/ BR09PA-3942 (07.08.2019) श्री मुक्ति नाथ, पिता–स्व0 रामचन्द्र सिंह, पता–लोहियानगर, सुहिद्रनगर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–10.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया–कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–03.07.27 फिटनेश–23.05.27 बीमा–18.07.26 प्रदूषण–08.05.27 / टैक्स–18.07.26 / 18.10.26 फिटनेश–30.07.27 बीमा–26.10.26 प्रदूषण–21.12.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती रूपम कुमारी, वाहन सं0–**BR09PB-0978** का कहना है कि वाहन सं0–**BR09PA-3942** बस के संशोधित समय–सारणी का मार्ग अगुवानी से बेगूसराय पर प्रकाशन दिनांक–10.08.2026, पत्रांक–407 के द्वारा किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के प्रकाशन में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व से वाहन सं0– वाहन सं0–**BR09H-4633** का परमिट प्राप्त है तो संशोधित समय–सारणी का प्रकाशन भी उसी वाहन का किया जाना है। लेकिन स्वामी के द्वारा वाहन सं0–**BR09PA-3942** का समय–सारणी एवं कागजात कार्यालय में जमा किया गया है। अतएव वाहन सं0– **BR09PA-3942** के ही समय–सारणी का प्रकाशन कर दिया गया है जो विधिवत वैध नहीं है। 1. वाहन सं0–**BR09PA-3942** परमिट	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				से प्राप्त वाहन नहीं है। परमिट से प्राप्त वाहन सं0– **BR09H-4633** है जो बिना प्रतिस्थापन किये वाहन सं0–**BR09PA-3942** का प्रकाशन किया जाना विधिवत वैध नहीं है। 2. साथ ही साथ परमिट से प्राप्त वाहन सं0–**BR09H-4633** जो 15 वर्ष से ज्यादा पुरानी वाहन है एवं इनक़ा परमिट भी दिनांक –25.08.2026 तक ही वैध है। साथ ही साथ बिना परमिट से प्राप्त वाहन सं0–**BR09PA-3942** का संशोधन शुल्क प्रति पड़ाव 4,000/–(चार हजार रूपये) है जो प्राधिकार का निर्णय है। संशोधन शुल्क भी जमा नहीं किया गया है। वाहन स्वामी के द्वारा संशोधित समय–सारणी प्रकाशन का शुल्क जमा नहीं किया गया है तो कार्यालय के द्वारा वैसे आवेदन पर विचार भी नहीं किया जाना है। 3. साथ ही साथ बिना परमिट के वाहन सं0–**BR09PA-3942** का प्रकाशन में गतिसीमा का भी उल्लंघन है जैसे मड़ैया प्रस्थान 17:18 एवं परबत्ता आगमन 17:45 अर्थात् 07 मिनट में 08 किमी0 की दूरी तय करने का प्रस्ताव दिया गया है जो गतिसीमा का उल्लंघन है एवं ग्रामीण सड़क है। . अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं0–**BR09PA-3942** के संशोधित समय–सारणी का प्रकाशन विधिवत वैध नहीं है। अतएव इनके संशोधित समय–सारणी को अस्वीकृत करते हुए वाहन सं0–**BR09H-4633** के परमिट को निरस्त किया जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री बुलबुल कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR10PB-9094** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा वाहन सं0–**BR09PA-3942** का संशोधित समय–सारणी का प्रकाशन मार्ग अगुवानी से बेगूसराय पर किया गया है, जिसमें निम्न आपत्ति है :– (i) वाहन सं0–**BR09PA-3942** **(AC Sleeper Bus)** है, लेकिन इसका निबंधन साधारण श्रेणी के बस में 55 सीट में किया गया है जबकि गाड़ी का व्हील बेस 6200 **MM** है।	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				गाड़ी का भौतिक सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक बेगूसराय से संयुक्त रूप में संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव की अध्यक्षता में किया जाय। (ii) वाहन सं0–**BR09PA-3942 (AC Sleeper Bus)** है एवं वाहन स्पेयर है। स्पेयर बस का संशोधित समय–सारणी का प्रकाशन कैसे किया जा सकता है। क्योंकि बस सं0–**BR09PA-3942** परमिट से आवृत्त वाहन ही नहीं है। (iii) साथ ही साथ परमिट से आवृत्त वाहन सं0–**BR09H-4633** जो दिनांक–03.04.2026 को 15 वर्ष पुरा कर चुकी है एवं परमिट की वैधता दिनांक–25.08.2026 को समाप्त हो रही है। बिना प्रतिस्थापन किये वाहन सं0–**BR09PA-3942** के संशोधित समय–सारणी का प्रकाशन किया जाना विधिवत् वैध नहीं है। (iv) साथ ही प्राधिकार के निर्णय मुताबिक प्रति समय–सारणी के संशोधन में प्रति पड़ाव 4,000/– (चार हजार रूपये) की दर से शुल्क जमा किया जाना है जो वाहन स्वामी की वाहन का विलम्ब शुल्क जमा किये बिना परमिट प्राप्त वाहन सं0–**BR09PA-3942 (AC Sleeper Bus)** का प्रकाशन किस परिस्थिति में किया गया है जो विधिवत् वैध नहीं है। (v) साथ ही साथ वाहन सं0–**BR09PA-3942 (AC Sleeper Bus)** जो स्पेयर बस के समय–सारणी में गतिसीमा का भी उल्लंघन है। मड़ैया से परबत्ता की दूरी 08 किमी0 दर्शाया गया है एवं 07 मिनट में दूरी तय करती है जो ग्रामीण सड़क है। मड़ैया प्रस्थान 17:38 परबत्ता आगमन 17:45 अर्थात् 08 किमी0 की दूरी 07 मिनट में तय करते हैं। (vi) **(AC Sleeper Bus)** की लं0 40 से 45 फीट चौ0–10 से 11 फीट है। अगुवानी से कबेला तक (जोड़ाबरपुर बाँध) है। बॉध होते हुए आवेदन दिए हैं। वाहन का जिस पर छोटी गाड़ी को चलने में दिक्कती आती है तो **Sleeper Bus** कैसे चलेगी।	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं0–**BR09PA-3942 (AC Sleeper Bus)** जो संशोधित शुल्क भी जमा नहीं किया गया है तथा मुल गाड़ी की परमिट भी दिनांक–25.08.2026 को समाप्त हो रही है। ऐसी परिस्थिति में इनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व से निर्गत वाहन सं0–**BR09H-4633** के परमिट को निरस्त किया जाय।	

<u>कार्यवाही संख्या – 02</u>

(स्थायी परमिट)
आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र0 सं0	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
6	BR09H-9431 (19.02.2010) श्री राज किशोर राय, पिता–श्री कुशो राय, पता–मटिहानी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3189, अजनी से बेगूसराय। भाया–गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–18.08.26 / 18.11.26 फिटनेश–29.07.27 बीमा–06.12.26 प्रदूषण–21.07.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
7	BR46P-6848 (21.03.2018) श्री मुनी लाल साह, पिता–स्व0 जानकी साह, पता–महिसौड़ी चौक, जिला–जमुई।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मल्लेपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया–महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–17.05.27 फिटनेश–31.03.27 बीमा–09.05.27 प्रदूषण–27.03.27	➢ आपत्तिकर्त्ता मो0 एजाज अहमद, वाहन सं0–**BR10W-6494** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता सिकन्दरा में 08:39 में आगमन कर 08:44 में प्रस्थान करते हैं। आपत्तिकर्त्ता सिकन्दरा में 08:25 आगमन कर 08:47 में प्रस्थान कर रहे हैं। सिकन्दरा में आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता के वाहन से पीछे आगमन कर 03 मिनट पहले प्रस्थान कर जाते हैं। सिकन्दरा में आवेदनकर्त्ता 13:27 में आगमन कर 13:32 में प्रस्थान कर जाते हैं। आपत्तिकर्त्ता सिकन्दरा 13:20 में आगमन कर 13:38 में प्रस्थान कर जाते हैं। आवेदनकर्त्ता सिकन्दरा में आपत्तिकर्त्ता के वाहन के पीछे आगमन कर 06 मिनट पहले प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार आवेदनकर्त्ता ओभरटेक कर वाहन का परिचालन करने का समय–सारणी दिये हैं। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार ओभरटेक वाहन के समय–सारणी के परमिट को अस्वीकार करने की कृपा करें।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मल्लेपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न ओवर टेकिंग एवं टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सिकन्दरा आ0 08:39 08:25 (14 मिनट पीछे) सिकन्दरा प्र0 08:44 08:47 (03 मिनट आगे) सिकन्दरा आ0 13:27 13:20 (07 मिनट पीछे) सिकन्दरा प्र0 13:32 13:38 (06 मिनट आगे) • आपत्तिकर्त्ता (मो0 एजाज अहमद) सुबह 08:25 में सिकन्दरा आगमन करते हैं एवं 08:47 में प्रस्थान करते हैं। • आवेदक (श्री मुनी लाल साह) सुबह 08:39 में आगमन करते हैं तथा 08:44 में प्रस्थान करते हैं। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता के वाहन

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					के बाद आगमन करते हैं लेकिन आपत्तिकर्त्ता से 03 मिनट पहले प्रस्थान कर जाते हैं। • आपत्तिकर्त्ता दोपहर 13:20 आगमन करते हैं और 13:38 में प्रस्थान करते हैं। • आवेदनकर्त्ता दोपहर 13:27 में आगमन करते हैं और 13:32 में प्रस्थान कर जाते हैं। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता के वाहन के बाद आगमन करते हैं लेकिन आपत्तिकर्त्ता से 06 मिनट पहले प्रस्थान कर जाते हैं। उपर्युक्त समय–सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा ओवर टेकिंग किया जा रहा है। अतः मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता को ओवर टेकिंग संबंधित संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु अगली बैठक में एक मौका दिया जाता है।
8	BR21PA-2048 (03.07.2026) श्री हिमांशु कुमार बट्श, पिता–अरबिन्द कुमार सिंह, पता–सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स–28.09.26 फिटनेश–02.07.28 बीमा–29.07.27 प्रदूषण–02.07.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री अरूण कुमार, वाहन सं0–**BR21H-3071** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता पहली पाली में बेगूसराय से 15:45 में खुलकर सरमेरा में ओवरटेक कर लिया है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 15:45 15:35 मोकामा प्र0 16:30 16:20 सरमेरा प्र0 16:56 16:57 जो कि प्राधिकार के नियम के विरूद्ध है। पूर्ववती वाहन के पीछे रहना है।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आपत्तिकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के आवेदित समय–सारणी से निम्न ओवर टेकिंग है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 15:45 15:35 (10 मिनट पीछे) मोकामा प्र0 16:30 16:20 (10 मिनट पीछे) सरमेरा प्र0 16:56 16:57 (01 मिनट आगे) आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। आवेदनकर्त्ता का आवेदन क्रम सं0–08 पर उपस्थापित है तथा आपत्तिकर्त्ता का आवेदन क्रम सं0–25 पर उपस्थापित है। अतः आवेदनकर्त्ता का आवेदन क्रम सं0–08 पर रहने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

9	BR21P-4704 (02.02.2019) श्रीमती नीलम देवी, पति–श्री प्रशांत कुमार, पता–इसुआ, सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स–01.11.26 फिटनेश–03.08.28 बीमा–29.11.26 प्रदूषण–01.08.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री आशीष आनंद, वाहन सं0–**BR01PT-3099** द्वारा एक अनुरोध पत्र कार्यालय में समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि आवेदनकर्त्ता प्राधिकार की बैठक में अपना परमिट आवेदन वापस ले लिया था क्योंकि ये वाहन परमिट से आवृत्त था। आवेदनकर्त्ता का वाहन परमिट से आवृत है। इसका परमिट बिहारशरीफ से बरबीघा मार्ग पर है और ये परमिट प्रर्त्यपण किये बिना फिर से आवेदन किये हैं। प्राधिकार की बैठक दिनांक–22.07.2026 में आवेदित परमिट का आवेदन वापस कर लिया था। इसका आवेदन शुल्क भी जॉच किया जाय। इस आवेदनकर्त्ता ने नया आवेदन किया है।	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
10	BR27-7486 (14.05.2009) श्री संजय कुमार सिंह, पिता –श्री अम्बिका सिंह, पता–महरथ, पोस्ट–वाजिदपुर थाना–काशीचक जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–1524 डाउन, बरबीघा से वार्सलीगंज। भाया–शेखोपुर एवं शाहपुर मोड़। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–31.10.26 फिटनेश–11.12.26 बीमा–12.08.26 प्रदूषण–02.02.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
11	BR52P-0959 (16.01..2020) श्री सर्वजीत कुमार, पिता–श्री अनिल प्रसाद सिंह, पता–रामपुर सिंडिये, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–18.08.26 फिटनेश–29.07.28 बीमा–20.07.27 प्रदूषण–20.07.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री अरूण कुमार, वाहन सं0–**BR21H-3071** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता सप्तमीं पाली में बेगूसराय से मेरे पीछे 01 मिनट खुलकर मोकामा में एक समय–सारणी होकर सरमेरा में ओवरटेक कर लिया है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 16:31 16:30 हथिदाह प्र0 17:04 17:02 मोकामा प्र0 17:18 17:18 सरमेरा प्र0 17:45 17:55 जो कि प्राधिकार के नियम के विरूद्ध है। ये गाड़ी दूसरे नम्बर प्लेट से परिचालन करवाया जाता है। इसकी जॉच करवाया जाय। ये परमिट से आवृत्त वाहन है। इसका परमिट अभी प्रर्त्यापण नहीं हुआ है।	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
12	BR21P-2524 (29.11.2015) श्रीमती नीलम देवी, पति–श्री प्रशांत कुमार, पता–इसुआडीह, सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–04.08.27 बीमा–29.07.27 प्रदूषण–30.07.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री अरूण कुमार, वाहन सं0–**BR21K-1811** द्वारा एक अनुरोध पत्र कार्यालय में समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि आवेदनकर्त्ता का वाहन सं0–**BR21P-2524** और वाहन सं0–**BR01PP-9783** का परिचालन दूसरे मार्ग पर होता है जबकि वाहन सं0–**BR01PP-9783** का परमिट आपके प्राधिकार	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				महुली से बिहारशरीफ पर निर्गत है और इसका परिचालन बिहारशरीफ से बेगूसराय और अन्य मार्ग पर होता है। ये प्राधिकार के नियम के विरूद्ध है। इस पर अर्थदण्ड लगाया जाय। वाहन सं0–**BR21P-2524** परमिट से आवृत्त है और इसके बावजूद आपके प्राधिकार में आवेदित किया गया है जो प्राधिकार के नियम के विरूद्ध है और इस दोनों गाड़ी का **VLTD** से जॉच करवाया जाय।	
13	BR01PP-9783 (28.04.2023) श्री महेश पासवान, पिता–श्री विशेश्वर पासवान, पता–इसुआ, सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–28.09.26 फिटनेश–05.05.27 बीमा–05.04.27 प्रदूषण–01.08.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
14	BR08P-5758 (31.08.2025) श्री रंजीत कुमार पिता–श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.26 प्रदूषण–30.08.26	अप्राप्त	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
15	BR08P-5751 (31.08.2025) श्रीमती कुमकुम देवी, पति–श्री अजीत कुमार, पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.26 प्रदूषण–30.08.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
16	BR01PR-8229 (14.02.2025) श्री महेश पासवान, पिता–श्री विशेश्वर पासवान, पता–इसुआ, ससौर, सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–29.10.26 फिटनेश–13.02.27 बीमा–03.02.27 प्रदूषण–14.02.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री अरूण कुमार, वाहन सं0–**BR21H-3071** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता के वाहन सं0–**BR01PR-8229** के पंचम पाली में बेगूसराय से हमसे 05 मिनट पीछे खुलकर मोकामा से सरमेरा जाने में ओवरटेक कर लिया गया। समय–सारणी होकर सरमेरा में ओवरटेक कर लिया	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के आवेदित समय–सारणी से निम्न ओवर

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				है। पंचम पाली आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 11:35 11:30 हथिदाह प्र0 12:06 12:02 मोकामा प्र0 12:21 12:18 सरमेरा प्र0 12:54 12:55 इसका परिचालन दूसरे मार्ग पर होता है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस आवेदन और गाड़ी का जॉच कर खारिज किया जाय। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री अरूण कुमार, वाहन सं0–**BR21K-1811** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता का वाहन सं0 –**BR01PR-8229** चतुर्थ पाली में बरबीघा से 10:00 हमसे पीछे खुलकर सरमेरा और मोकामा से हथिदाह जाने के क्रम में ओवरटेक कर लिया जो कि प्राधिकार के नियम के विरूद्ध है। ये गाड़ी का परमिट आपके प्राधिकार से महुली से बिहारशरीफ पर निर्गत है और इसका परिचालन सरमेरा से बिहार शरीफ पर हो रही है। इसका **VLTD** से जॉच करवाया जाय। चतुर्थ पाली में आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से निम्न टकराव है :– चतुर्थ पाली आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बरबीघा प्र0 10:00 09:52 सरमेरा प्र0 10:17 10:12 मोकामा प्र0 10:44 10:47 हथिदाह प्र0 10:59 11:01 अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस आवेदन और गाड़ी का जॉच कर खारिज किया जाय।	टेकिंग है :– पंचम पाली आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 11:35 11:30 (05 मिनट पीछे) हथिदाह प्र0 12:06 12:02 (04 मिनट पीछे) मोकामा प्र0 12:21 12:18 (03 मिनट पीछे) सरमेरा प्र0 12:54 12:55 (01 मिनट आगे) आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। आवेदनकर्त्ता का आवेदन क्रम सं0–16 पर उपस्थापित है तथा आपत्तिकर्त्ता का आवेदन क्रम सं0–25 पर उपस्थापित है। अतः आवेदनकर्त्ता का आवेदन क्रम सं0–16 पर रहने की स्थिति में प्रथम आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत कर आवेदनकर्त्ता के परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से आवेदनकर्त्ता के आवेदित समय–सारणी से निम्न ओवर टेकिंग है :– चतुर्थ पाली आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बरबीघा प्र0 10:00 09:52 (08 मिनट पीछे) सरमेरा प्र0 10:17 10:12 (05 मिनट पीछे) मोकामा प्र0 10:44 10:47 (03 मिनट आगे) हथिदाह प्र0 10:59 11:01 (02 मिनट आगे) आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। आवेदनकर्त्ता का आवेदन क्रम सं0–16 पर उपस्थापित है तथा आपत्तिकर्त्ता का आवेदन क्रम सं0–27 पर उपस्थापित है। अतः आवेदनकर्त्ता का आवेदन क्रम सं0–16 पर रहने की स्थिति में द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत कर आवेदनकर्त्ता के परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
17	BR08P-5750 (31.08.2025) श्रीमती कुमकुम देवी, पति–श्री अजीत कुमार, पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी,	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक,	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.26 प्रदूषण–30.08.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

	जिला–बेगूसराय।	नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)			
18	BR09PA-9165 (04.06.2024) श्री अजीत कुमार, पिता– श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–05.09.26 फिटनेश–17.06.28 बीमा–17.05.27 प्रदूषण–11.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
19	BR01PD-9122 (12.10.2012) श्री रिषव पराशर, पिता–श्री रमानुग्रह सिंह, पता–खोजा, गाछी, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3032, बरबीघा से मुंगेर। भाया–शेखपुरा, लखीसराय एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–11.10.26 फिटनेश–17.03.27 बीमा–09.03.27 प्रदूषण–05.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
20	BR21P-4811 (13.08.2018) श्री जय राम प्रसाद, पिता–श्री दीपनारायण यादव, पता–हुसेना, सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3234, महुली से रामचन्द्रपुर बिहारशरीफ। भाया–शिखापुरा एवं बरबीघा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–12.08.26 फिटनेश–29.01.27 बीमा–09.03.27 प्रदूषण–15.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
21	BR08P-5754 (31.08.2025) श्रीमती सुनीता देवी, श्री सुधीर कुमार पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.26 प्रदूषण–30.08.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री पिंकेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR34P-7883** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा जान बूझकर हमारे परिचालित गाड़ी सं0–**BR34P-7883** के आगे कबेला से 01 मिनट आगे–आगे बेगूसराय तक आवेदन किए हैं। क्योंकि मार्ग संख्या भिन्न रहने के कारण जिसका गलत फायदा लेना चाहते हैं। जबकि मार्ग पर हर पड़ाव सेम है। महोदय मेरे पास मात्र चार गाड़ी है जिससे कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। और नई गाड़ी है जिसका हर महिना किस्त भी जमा करना पड़ता है। आवेदनकर्त्ता के पास 100 से ज्यादा न्यायरथ के बैनर तले गाड़ी परिचालित होता है। इनका मंशा रहता है कि कोई छोटे वाहन स्वामी इस मार्ग पर गाड़ी का परिचालन नहीं करे।	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता कबेला प्र0 05:02 05:04 (02 मिनट आगे) नयागॉव प्र0 05:18 05:19 (01 मिनट आगे) परबत्ता प्र0 05:43 05:44 (01 मिनट आगे) मड़ैया प्र0 06:03 06:04 (01 मिनट आगे) जमालपुर प्र0 06:23 06:24 (01 मिनट आगे)

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				इसलिए परिचालित गाड़ी के 01 मिनट आगे का समय–सारणी किए हैं कि इनका गाड़ी बंद हो जाए और मेरा इस मार्ग पर एकक्षत्र राज कायम रहे। न्यायरथ के ही दूसरे वाहन सं0–**BR08P-5750** वाहन स्वामी श्रीमती कुमकुम देवी जो कि बेगूसराय से भागलपुर मार्ग पर आवेदन किए हैं। मेरे इसी वाहन का तृतीय पाली में महेशखूंट से बेगूसराय तक एक 01 मिनट आगे 02 मिनट आगे क समय–सारणी किए हैं। आव्रेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी में निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता कबेला प्र0 05:02 05:04 नयागॉव प्र0 05:18 05:19 परबत्ता प्र0 05:43 05:44 मड़ैया प्र0 06:03 06:04 जमालपुर प्र0 06:23 06:24 महेशखूंट प्र0 06:52 06:53 मानसी प्र0 07:11 07:13 खगड़िया प्र0 07:25 07:26 बलिया प्र0 08:05 08:06	महेशखूंट प्र0 06:52 06:53 (01 मिनट आगे) मानसी प्र0 07:11 07:13 (02 मिनट आगे) खगड़िया प्र0 07:25 07:26 (01 मिनट आगे) बलिया प्र0 08:05 08:06 (01 मिनट आगे) उपर्युक्त समय–सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से 01 एवं 02 मिनट पहले का समय–सारणी दिया गया है। परन्तु आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
22	BR09PB-0973 (17.03..2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति–श्री बिनीत कुमार, पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–12.09.26 फिटनेश–16.03.28 बीमा–12.03.27 प्रदूषण–16.03.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
23	BR09PA-9543 (04.12.2024) श्रीमती रूपम कुमारी, पति–अमरजीत कुमार, पता–पहसारा, बभनगामा, नॉकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–01.12.25 फिटनेश–03.12.26 बीमा–03.12.25 प्रदूषण–03.12.25	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR09M-6809** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता पूर्व का परमिट को सरेन्डर किये बिना आवेदन किये हैं। आवेदनकर्त्ता के वाहन पर पूर्व से बांका से बेगूसराय मार्ग पर परमिट निर्गत है। आवेदनकर्त्ता प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन कर आवेदन किये हैं। इस तथ्य का उल्लेख प्राधिकार द्वारा निर्गत आवेदन के नोटिस में उल्लेखित है जिसका वर्णन कंडिका 21 में किया गया है। पूर्व के परमिट को निरस्त करते हुए वर्तमान परमिट आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय।	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

24	BR53A-5165 (25.02.2013) श्री राजीव कुमार, पिता–श्री राम निरंजन प्रसाद सिंह, पता–हसनपुर, जिला–लखीसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–191, लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज। भाया–लखीसराय लालू बस पड़ाव, सिकन्दरा बस स्टैण्ड, रामगढ़ चौक, हलसी एवं सिकन्दरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–24.08.26 फिटनेश–04.08.27 बीमा–02.07.27 प्रदूषण–03.08.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्रीमती पुष्पा देवी, वाहन सं0–**BR46P-7765** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सिकन्दरा प्र0 16:54 16:56 सिकन्दरा प्रस्थान मुख्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय–सारणी में 02 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्त्ता के वाहन सं0–**JH18A-4721, BR21C-7411, BR27B-6558** का टैक्स, बीमा एवं फिटनेस वैध नहीं है। आवेदनकर्त्ता उपरोक्त तीनों वाहन का परिचालन बिना कागजात के कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता टैक्स डिफाल्टर है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्त्ता के वाहन के परमिट को अस्वीकार करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता के टैक्स बकाया का कागजात आपत्ति के साथ संलग्न है।	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 191 लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज है तथां आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3229 डाउन सिकन्दर से लखीसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सिकन्दरा प्र0 16:54 16:56 (02 मिनट आगे) उपर्युक्त समय–सारणी से स्पष्ट है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से 02 मिनट पहले का समय–सारणी दिया गया है। परन्तु आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतएव आवेदनकर्त्ता के प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता द्वारा सशर्त्त 02 (दो) दिनों के अन्दर वाहन सं0–**JH18A-4721, BR21C-7411, BR27B-6558** का टैक्स से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराने के उपरांत ही परमिट आवेदन स्वीकृत किया जायेगा। अन्यथा परमिट आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
25	BR21H-3071 (07.10.2012) श्री अरूण कुमार, पिता–श्री माराकंड प्रसाद सिंह, पता–सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–06.10.26 फिटनेश–02.08.27 बीमा–24.07.27 प्रदूषण–30.07.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री हिमांशु कुमार वत्स, वाहन सं0–**BR21PA-2048** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावितं समय–सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सरमेरा प्र0 04:57 04:56 सरमेरा में दोनों वाहन के समय–सारणी में 01 मिनट का अन्तराल है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0–**BR01PP-9783** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बरबीघा प्र0 05:40 05:38 सरमेरा प्र0 06:00 05:58 बेगूसराय प्र0 07:30 07:30 बरबीघा प्र0 09:20 09:21	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सरमेरा प्र0 04:57 04:56 (01 मिनट पीछे) आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदित समय–सारणी से आपत्ति की गई है, जिनका आवेदन क्रम सं0–08 पर उपस्थापित है जिसे स्वीकृति का प्रस्ताव है। आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति स्वीकृत किया जाता है। आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता को अगली बैठक में प्रथम

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				सरमेरा प्र0 09:40 09:38 मुख्य बिन्दु पर 02 मिनट तथा **Same** समय–सारणी है तथा अन्य बिन्दु पर 02 मिनट का अन्तराल है। उपरोक्त वर्णित वाहन का परमिट **S.T.A.** से नारदीगंज से मुंगेर 2014 में प्राप्त कर वाहन का परिचालन निर्धारित मार्ग पर नहीं करके सरमेरा से मोकामा प्रत्येक दिन वाहन का परिचालन कर रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद वाहन का परिचालन वाहन स्वामी द्वारा बिना परमिट के वाहन का परिचालन कर रहे हैं। वाहन स्वामी के वाहन सं0–**BR21GA-9719** पर टैक्स बकाया है। **BHY-9421, BR21B-9541** पर टैक्स बकाया है। आवेदनकर्त्ता का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0–**BR01PR-8229** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सरमेरा प्र0 12:55 12:54 सरमेरा में दोनों वाहन के समय–सारणी 01 मिनट का अन्तराल है।	आपत्तिकर्त्ता के टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बरबीघा प्र0 05:40 05:38 (02 मिनट पीछे) सरमेरा प्र0 06:00 05:58 (02 मिनट पीछे) बेगूसराय प्र0 07:30 07:30 (सेम समय) बरबीघा प्र0 09:20 09:21 (01 मिनट आगे) सरमेरा प्र0 09:40 09:38 (02 मिनट पीछे) आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। परमिट पोर्टल पर अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदनकर्त्ता के वाहन पूर्व परमिट से आवृत्त है। परन्तु परमिट की वैधता दि0–19.08.2024 को ही समाप्त पायी गयी है। साथ ही आपत्तिकर्त्ता द्वारा वाहन संख्या––**BR21GA-9719, BHY-9421** एवं **BR21B-9541** पर टैक्स से संबंधित आपत्ति दर्ज की गई है। उक्त वाहन की जॉच वाहन पोर्टल पर किये जाने के उपरांत वाहन सं0–**BR21GA-9719** पर टैक्स बकाया नहीं पाया गया है तथा शेष वाहन संख्या यथा–**BHY-9421** एवं **BR21B-9541** का डाटा वाहन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदित समय–सारणी से आपत्ति की गई है, जिनका आवेदन क्रम सं0–13 पर उपस्थापित है जिसे स्वीकृति का प्रस्ताव है। आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता को अगली बैठक में द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के टकराव एवं ओवर टेकिंग के बिन्दुओं पर संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया दिया जाता है। ➢ तृतीय आपत्तिकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता सरमेरा प्र0 12:55 12:54 (01 मिनट पीछे)

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। तृतीय आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदित समय–सारणी से आपत्ति की गई है, जिनका आवेदन क्रम सं0–16 पर उपस्थापित है जिसे स्वीकृति का प्रस्ताव है। आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति स्वीकृत किया जाता है। आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता को अगली बैठक में तृतीय आपत्तिकर्त्ता के टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। अतः आवेदनकर्त्ता, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्त्ताओं के टकराव एवं ओवर टेकिंग के बिन्दुओं पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
26	BR11J-9198 (31.07.2010) श्री प्रिंस, पिता–श्री भागीरथ सिंह, पता–बड़ी पोखर, पुरानी बाजार, जिला–लखीसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया–रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–29.10.26 फिटनेश–05.01.27 बीमा–16.12.26 प्रदूषण–17.12.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
27	BR21K-1811 (29.09.2014) श्री अरूण कुमार, पिता–श्री माराकाण्डे सिंह, पता–सरमेरा, जिला–नालंदा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–25.09.26 फिटनेश–05.03.27 बीमा–25.02.27 प्रदूषण–29.11.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती नीलम देवी, वाहन सं0–**BR21P-4704** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता हथिदाह प्र0 07:29 07:30 बेगूसराय प्र0 11:51 11:50 सरमेरा प्र0 13:12 13:14 बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर 01 मिनट, मध्य बिन्दु सरमेरा में 02 मिनट तथा हथिदाह में 01 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्त्ता के वाहन का परमिट **S.T.A.** से पटना से पकड़ीवर्मा 26.06.2015 को परमिट प्राप्त कर सरमेरा से मोकामा में वाहन का	➢ आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता हथिदाह प्र0 07:29 07:30 (01 मिनट आगे) बेगूसराय प्र0 11:51 11:50 (01 मिनट पीछे) सरमेरा प्र0 13:12 13:14 (02 मिनट आगे) आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदित समय–सारणी से आपत्ति की

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				परिचालन करते थें वाहन का परिचालन 2020 से बिना परमिट के कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता के वाहन सं0–**BR21GA-9719, BHY-9421** एवं **BR21B-9541** तीनो वाहन पर टैक्स बकाया है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0–**BR01PR-8229** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता हथिदाह प्र0 11:01 10:59 हथिदाह में दोनों वाहन के समय–सारणी 01 मिनट का अन्तराल है।	गई है। उक्त वाहन **BR21P-4704** का वाहन परमिट पोर्टल पर परमिट से आवृत्त वाहन पाये जाने की स्थिति में अस्वीकृति का प्रस्ताव है जिनका आवेदन क्रम सं0–09 पर उपस्थापित है। साथ ही आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदनकर्त्ता के वाहन सं0–**BR21GA-9719, BHY-9421** एवं **BR21B-9541** पर टैक्स से संबंधित आपत्ति दर्ज की गई है। उक्त वाहन की जॉच वाहन पोर्टल पर किये जाने के उपरांत वाहन सं0–**BR21GA-9719** पर टैक्स बकाया नहीं पाया गया है तथा शेष वाहन संख्या यथा–**BHY-9421** एवं **BR21B-9541** का डाटा वाहन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। उक्त के आलोक में प्रथम आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं0–**BR01PR-8229** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता हथिदाह प्र0 11:01 10:59 (02 मिनट पीछे) आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदित समय–सारणी आपत्ति की गई है, जिनका आवेदन क्रम सं0–16 पर उपस्थापित है, जिसे स्वीकृति का प्रस्ताव है। साथ ही पीछे खुलने वाली वाहन पर आपत्ति मान्य नहीं है। उक्त के आलोक में द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
28	BR09PA-7093 (13.03.2017) श्री मुक्ति नाथ, पिता–श्री राम चन्द्र सिंह, पता–लोहियानगर, सुहिद्र नगर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3169 डाउन, बेगूसराय से अगुवानी। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता, नयागॉव एवं कबैला। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–24.08.26 फिटनेश–07.05.27 बीमा–30.03.27 प्रदूषण–05.08.26	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री आशीष कुमार रंजन, वाहन सं0–**BR09GB-9009** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता बेगूसराय से अगुवानी पर आवेदन किए हैं। बेगूसराय से अगुवानी की दूरी आवेदनकर्त्ता 89 किमी0 उल्लेख किये हैं। बेगूसराय से अगुवानी की दूरी 107 किमी0 है। आवेदनकर्त्ता का वाहन टूरिस्ट वाहन है। आवेदनकर्त्ता मार्ग में आवेदन किये हैं। आवेदनकर्त्ता का आवेदन खारिज करने की कृपा की जा। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री बुलबुल	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3169 डाउन बेगूसराय से अगुवानी है, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आवेनकर्त्ता ने अपने आवेदन के मुख्य विवरण में मार्ग की दूरी 89 कि0मी0 दर्शाई गयी है, जो जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा समर्पित पत्र जिसका पत्रांक–362, दिनांक–20.04.2026 की रिपोर्ट के

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				कुमार सिंह वाहन सं0–**BR10PB-9301** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता श्री मुक्ति नाथ ने अपनी वाहन सं0–**BR09PA-7093** का आवेदन बेगूसराय से अगुवानी पर जो समय–सारणी की प्रकाशन हुई है उसमें मार्ग की दूरी 89 किमी0 आवेदन में लिखे हैं और आवेदन में एक स्टॉप से दूसरे स्टॉपेज की कुल दूरी को जोड़ने के बाद 103 किमी0 होती है। एक ट्रिप में इन्होंने 04 ट्रिप की कुल दूरी 356 किमी0 लिखे हैं। जबकि इनके ही आवेदन के अनुसार 04 ट्रिप में 412 किमी0 होती है तो इनके आवेदन में मार्ग की दूरी एवं मार्ग की कुल 04 ट्रिप की दूरी में अन्तर होने के कारण इनके आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय। साक्ष्य आवेदन के साथ संलग्न है।	अनुसार बेगूसराय से अगुआनी की दूरी लगभग 88 कि0मी0 प्रमाणित की गई है जो लगभग अनुरूप है। परन्तु आवेनकर्त्ता ने इसी आवेदन पत्र के समय–सारणी में एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज की जो दूरियाँ दर्शायी गयी है, उन्हें आपस में जोड़ने पर कुल योग 103 कि0मी0 हो जाता है। आवेदनकर्त्ता के अपने ही आवेदन पत्र में मुख्य दूरी (89 कि0मी0) और एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज का योग (103 कि0मी0) में विरोधाभास है, जिसके कारण चार ट्रीप की कुल दूरी (356 कि0मी0 बनाम 412 कि0मी0) जिससे स्पष्ट है कि मार्ग संख्या 3169 के अनुरूप आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। अतः प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान्य रहने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता को मार्ग संख्या–3169 के अनुरूप संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
29	BR09PB-0842 (11.02.2026) श्री ब्रजेश कुमार, पिता–श्री फुलेना सिंह, पता–कोराय, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3105, कुशेश्वर स्थान से बेगूसराय। भाया–हसनपुर, गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–10.05.27 फिटनेश–10.02.28 बीमा–08.02.27 प्रदूषण–10.02.27	➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री राज किशोर राय, वाहन सं0–**BR09H-9431** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मंझौल प्र0 16:48 16:50 गढ़पुरा प्र0 17:28 17:28 गढ़पुरा में दोनों वाहन का समय–सारणी **Same** है। मंझौल से गढ़पुरा 15 किमी0 की दूरी आवेदनकर्त्ता 40 मिनट में तय कर रहे हैं। आवेदनकर्त्ता परेशान करने की नियत से इस प्रकार का समय–सारणी दिये हैं। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री राज किशोर राय, वाहन सं0–**BR09PA-1034** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता हसनपुर प्र0 07:29 07:30 मंझौल प्र0 09:08 09:07 गढ़पुरा प्र0 08:19 08:15 उपरोक्त बिन्दु पर दोनों वाहन के समय–सारणी में टकराव है।	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3105 कुशेश्वर स्थान से बेगूसराय है, प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3189 अजनी से बेगूसराय है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3107 डाउन बेगूसराय से हसनपुर है। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ प्रथम आपत्तिकर्त्ता के आवेदित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता मंझौल प्र0 16:48 16:50 (02 मिनट आगे) गढ़पुरा प्र0 17:28 17:28 (सेम समय) आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। प्रथम आपत्तिकर्त्ता द्वारा आवेदित समय–सारणी से आपत्ति की गई है, जिनका आवेदन क्रम सं0–06 पर उपस्थापित है, जिसे आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में स्वीकृति का प्रस्ताव है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में प्रथम आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। ➢ द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के निर्गत परमिट के समय–सारणी से निम्न टकराव है :–

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				आवेदनकर्त्ता हसनपुर से 07:29 में प्रस्थान कर गढ़पुरा 08:14 में आगमन करते हैं। हसनपुर से गढ़पुरा आवेदनकर्त्ता 11 किमी0 की दूरी 44 मिनट में तय करते हैं। आवेदनकर्त्ता मेरे निर्गत परमिट के 01 मिनट पहले का समय–सारणी दिये हैं।	आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता हसनपुर प्र0 07:29 07:30 (01 मिनट आगे) मंझौल प्र0 09:08 09:07 (01 मिनट पीछे) गढ़पुरा प्र0 08:19 08:15 (04 मिनट पीछे) मध्य बिन्दु मंझौल में आपत्तिकर्त्ता का आगमन समय 09:07 है तथा आवेदनकर्त्ता का मंझौल में 09:08 प्रस्थान समय है। परन्तु आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
30	BR06PA-3222 (05.08.2010) श्री ब्रजेश कुमार, पिता–श्री फुलेना सिंह, पता–कोराय, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3189, अजनी से बेगूसराय। भाया–गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–04.11.26 फिटनेश–21.01.27 बीमा–31.10.26 प्रदूषण–08.10.26	अप्राप्त	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
31	BR9F-6189 (31.07.2009) श्री राजीव कुमार रंजन, पिता–श्री रविन्द्र सिंह, पता–रजौरा, मु0, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3109, सिहम से बेगूसराय। भाया–कचहरी रामपुर, बख्हड्डा, नारायण पिपर, कुम्भी, श्रीपुर, चेरिया, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–22.08.26 फिटनेश–04.08.27 बीमा–08.06.27 प्रदूषण–08.03.27	अप्राप्त	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा अपना परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
32	BR09PA-9159 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार पिता–श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.09.26 फिटनेश–16.06.28 बीमा–16.05.27 प्रदूषण–11.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

33	BR09PA-9163 (06.06.2024) श्रीमती सुनीता देवी पति–श्री सुधीर कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3170, कबेला से बेगूसराय। भाया–नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.09.26 फिटनेश–17.06.28 बीमा–24.05.27 प्रदूषण–11.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
34	BR09PA-9608 (04.12.2024) श्री रंजीत कुमार, पिता–श्री रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, बभनगामां, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–01.09.26 फिटनेश–03.12.26 बीमा–03.12.26 प्रदूषण–09.11.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0–**BR09M-6807** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता पूर्व का परमिट को सरेन्डर किये बिना आवेदन किये हैं जो प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध है। प्राधिकार द्वारा परमिट आवेदन के निर्गत नोटिस के कंडिका 21 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि परमिट से आच्छादित वाहन का नया परमिट आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व के परमिट को रद्द कर आवेदनत्ता के आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय।	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
35	BR09M-6805 (28.11.2013) श्री अंकज कुमार, पिता–पारस नाथ सिंह, पता–शाहपुर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–25.12.26 बीमा–**15.11.26** प्रदूषण–12.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
36	BR09PA-8530 (19.09.2023) श्रीमती बिनीता कुमारी, पति–श्री रंजीत कुमार, पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3144, बेगूसराय से बखरी। भाया–मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–18.09.26 फिटनेश–18.09.27 बीमा–27.11.26 प्रदूषण–16.09.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा एक आवेदन समर्पित कर बताया गया है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा पूर्व का परमिट सरेन्डर किये बिना बेगूसराय से बखरी मार्ग पर परमिट आवेदन किये हैं।	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
37	BR08P-5755 (31.08.2025) श्रीमती सुनीता देवी पति–श्री सुधीर कुमार पता–पहसारा, बभनगामा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया–कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.26 प्रदूषण–30.08.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री पिंकेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR09M-3060** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा मार्ग अगुवानी से बेगूसराय पर आवेदन किया गया है। इस वाहन का परमिट दिनांक–10.08. 2026 तक सरेन्डर नहीं किया गया है जो कि प्राधिकार के निर्णय का विरूद्ध है। जबकि प्राधिकार का आदेश है कि	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)		परमिट सरेन्डर के बाद ही कोई आवेदन कर सकता है जिसका पालन नहीं किया गया है। आवेदनकर्त्ता जान बूझकर मुझे परेशान करने की नियत से मेरे वाहन सं0–**BR09M-3060** के निर्गत परमिट के आगे–आगे प्रस्तावित समय–सारणी किये हैं जो कि गलत मंशा को उजागर कर रहा है। अगुवानी से बेगूसराय और कबेला से बेगूसराय हर पड़ाव सेम है। सिर्फ मार्ग संख्या भिन्न रहने के कारण मेरे निर्गत समय–सारणी जो कि एक अप एक डाउन है दोनों पाली के आगे–आगे प्रस्तावित समय–सारणी किए हैं। अतः महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ कि आवेदनकर्त्ता सिर्फ समय को इंगेज रखने के ख्याल से दो अप दो डाउन का प्रस्तावित समय–सारणी किए हैं जो अगुवानी से बेगूसराय मार्ग पर कोई दूसरा आवेदक आवेदन नहीं कर सके। इनके द्वारा तंग करने की नियत से हमारे परिचालित गाड़ी सं0–**BR09M-3060** के आगे–आगे प्रस्तावित समय–सारणी किए हैं जो निम्न है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता कबेला प्र0 06:36 06:38 नयागॉव प्र0 06:51 06:54 परबत्ता प्र0 07:15 07:18 मड़ैया प्र0 07:40 07:45 जमालपुर प्र0 08:00 08:05 बेगूसराय प्र0 11:00 11:02 बलिया प्र0 11:46 11:50 खगड़िया प्र0 12:42 12:46 मानसी प्र0 12:58 13:00 महेशखूंट प्र0 13:25 13:30 अतः श्रीमान् से आग्रह है कि वाहन सं0–**BR08P-5755** के प्रस्तावित समय–ससारणी को बगैर सरेन्डर किए आवेदन किया गया एवं प्रस्तावित समय–सारणी में टकराव पूर्ण होने के कारण इस आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

38	BR08P-5490 (17.10.2024) श्री संजय कुमार, पिता–देव ना0 प्रसाद सिंह, पता–गोरगामां, नयागॉव, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया–कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–10.10.26 फिटनेश–16.10.26 बीमा–10.10.26 प्रदूषण–16.10.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
39	BR10P-7279 (29.05.2012) श्री संजय कुमार पिता– श्री देव नंदन प्रसाद सिंह पता–गुरगॉवन, नयागॉव, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–16.05.27 बीमा–27.02.27 प्रदूषण–22.08.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
40	BR09P-8511 (04.07.2014) श्री राज कुमार पिता– श्री बब्लू कुमार सिंह पता–शाहपुर, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–03.10.26 फिटनेश–04.08.27 बीमा–22.06.27 प्रदूषण–03.12.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजीत कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-9608** का कहना है कि आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसरया से भागलपुर रेलवे स्टेशन, आवेदन क्रम सं0–29 पर आवेदित है, जबकि आवेदनकर्त्ता का वाहन सं0–**BR09P-8511** का आवेदन क्रम सं0–35 पर आवेदित है, जिसपर हमें आपत्ति है, आवेदन के क्रम में हम वरीय है, साथ ही साथ ओवरटेक का भी मामला है जो निम्न है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता भागलपुर रे0स्टे0 प्र0 15:35 15:40 नारायणपुर प्र0 17:28 17:25 महेशखूंट प्र0 18:17 18:16 खगड़िया प्र0 18:54 18:56 बलिया प्र0 19:40 19:33 दोनों मार्ग समान रहने के कारण आपत्तिकर्त्ता वाहन सं0– **BR09PA-9608** का प्रस्थान भागलपुर रेलवे स्टेशन 15:40 प्रस्थान एवं आवेदनकर्त्ता वाहन सं0–**BR09P-8511** का प्रस्थान भागलपुर रेलवे स्टेशन 15:35 प्रस्थान है एवं रास्ते में आगे खुलकर पीछे एवं कभी आगे हो जाते हैं जो ओवरटेक का मामला है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जॉच कर उचित निर्णय करने की कृपा की जाय।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। आपत्तिकर्त्ता के आवेदित समय–सारणी से निम्न टकराव एवं ओवर टेकिंग है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता भागलपुर रे0स्टे0 प्र0 15:35 15:40 (05 मिनट आगे) नारायणपुर प्र0 17:28 17:25 (03 मिनट पीछे) महेशखूंट प्र0 18:17 18:16 (01 मिनट पीछे) खगड़िया प्र0 18:54 18:56 (02 मिनट आगे) बलिया प्र0 19:40 19:33 (07 मिनट पीछे) आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं, जिनका आवेदन क्रम सं0–34 पर उपस्थापित है, जिसे परमिट पोर्टल पर वाहन का पूर्व परमिट से आवृत्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन को अस्वीकृत का प्रस्ताव है। चूँकि आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता के आपत्ति को अस्वीकृत

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					किया जाता है। अतः आवेदनकर्त्ता के परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
41	BR01PF-4872 (04.07.2015) श्री नीरज कुमार सिंह पिता– श्री नेपो सिंह पता–खम्हर, मु0, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया–मंझौल एवं बखरी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–05.05.27 फिटनेश–21.06.27 बीमा–16.08.26 / 16.08.27 प्रदूषण–17.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
42	BR53P-2545 (12.02.2026) श्री भरत यादव, पिता– श्री सीतल यादव, पता–कमासी, जिला–शेखपूरा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3089, शेखपुरा से लखीसराय। भाया–गिरिहिण्डा चौक, ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–01.11.26 फिटनेश–11.02.28 बीमा–09.02.27 प्रदूषण–11.02.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री जितेन्द्र कुमार, वाहन सं0–**BR01PT-2797** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा जो समय–सारणी का प्रस्ताव दिया गया है उसमें मध्य बिन्दु रूकने का समय गिरिहिण्डा चौक में आगमन 08:05 एवं प्रस्थान समय 08:35 है जिसमें 30 मिनट का ठहराव है, जबकि प्राधिकार के निर्णयानुसार मध्य बिन्दु में 05 मिनट से अधिक का ठहराव नहीं देना है। इनसे संशोधित समय–सारणी की मांग की जाय।	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3089 शेखपुरा से लखीसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3195 घाट कुशुमभा से लखीसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी के टकराव के बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। परन्तु आपत्तिकर्त्ता द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा कार्यालय में समर्पित प्रस्तावित समय–सारणी में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ाव का पालन नहीं किया गया है। चूँकि आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता द्वारा प्रस्तावित समय–सारणी में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ाव का पालन नहीं किया गया है। अतः आवेदनकर्त्ता को अगली बैठक में मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों पर 05 मिनट से अधिक ठहराव संबंधित संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है।
43	BR46P-6321 (15.04.2025) श्री रेवती रमन कुमार, पिता–श्री ओंकार सिंह, पता–मटासी, हलसी, जिला–लखीसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3221, मघरा से खैरा। भाया–बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा, गिरिहिण्डा, चैबारा, सिकन्दरा एवं जमुई। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–11.01.27 फिटनेश–14.04.27 बीमा–11.04.27 प्रदूषण–07.06.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री सौरव कुमार, वाहन सं0–**BR21G-8365** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी में मघरा से बिहारशरीफ रामचन्द्रपुर की कुल दूरी 2 किमी0 जिसे 18 मिनट में तय कर रहा है। अतः यह गतिसीमा का उल्लंघन है और सभी जगह पर 02 मिनट के आगे चल रहे हैं और यह अगले को तबाह करने के लिए बार–बार आवेदन कर रहे हैं।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3221 मघरा से खैरा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी के टकराव के बिन्दु पर कोई आपत्ति नहीं की गई है तथा आपत्तिकर्त्ता द्वारा गतिसीमा का उल्लंघन संबंधित आपत्ति का उल्लेख किया गया है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता द्वारा 18 मिनट में 03 किमी0 की दूरी तय किया जा रहा है

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					जो गतिसीमा का उल्लंघन नहीं है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान रहने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति अस्वीकृत किया जाता है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
44	BR10PB-9302 (19.09.2023) श्री बुलबुल कुमार सिंह, पिता–श्री लड्डू प्रसाद सिंह, पता–गोगरी, जमालपुर अगुवानी, जिला–खगड़िया।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया–कबैला, नयागॉव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–18.09.26 फिटनेश–18.04.28 बीमा–26.09.26 प्रदूषण–05.10.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री मनोज कुमार, वाहन सं0–**BR06PG-9121** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता का परमिट 07.04.2030 तक वैध है। आवेदनकर्त्ता परमिट को सरेन्डर किये बिना आवेदन किये हैं जो प्राधिकार के निर्णय कंडिका 21 का उल्लंघन है।	➢ आवेदनकर्त्ता द्वारा परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
45	BR43P-1809 (05.04.2013) श्री नीरज कुमार सिंह पिता– श्री नेपो सिंह पता–खम्हर, मु0, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया–मंझौल एवं बखरी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–19.06.27 फिटनेश–27.12.26 बीमा–03.12.26 प्रदूषण–07.12.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
46	BR01PT-3099 (29.04.2026) श्री आशीष आनंद, पिता–श्री अरूण कुमार, पता–साउथ चित्रगुप्त नगर, के0 बाग, जिला–पटना।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया–जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–09.10.26 फिटनेश–28.04.28 बीमा–13.03.27 प्रदूषण–28.04.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री सर्वजीत कुमार, वाहन सं0–**BR52P-0959** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय–सारणी मेरे वाहन के आवेदित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 06:28 06:31 हथिदाह प्र0 09:15 09:17 सरमेरा प्र0 11:03 11:06 दोनों वाहन के समय–सारणी में टकराव है। बेगूसराय से हथिदाह 27 किमी0 26 मिनट तय कर रहे हैं जो गतिसीमा का उल्लंघन है।	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं। आपत्तिकर्त्ता के आवेदित समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 06:28 06:31 (03 मिनट आगे) हथिदाह प्र0 09:15 09:17 (02 मिनट आगे) सरमेरा प्र0 11:03 11:06 (03 मिनट आगे) आपत्तिकर्त्ता इस बैठक हेतु आवेदनकर्त्ता भी हैं, जिनका आवेदन क्रम सं0–11 पर उपस्थापित है। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तावित समय–सारणी में गतिसीमा का उल्लंघन संबंधित उल्लेख किया गया है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित समय–सारणी में गतिसीमा का उल्लंघन नहीं है। चूँकि आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

					मार्ग संख्या समान है। आपत्तिकर्त्ता के आवेदित वाहन का परमिट पोर्टल पर पूर्व परमिट से आवृत्त की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता के परमिट आवेदन को क्रम सं0–11 पर अस्वीकृत करने का प्रस्ताव है। अतः आपत्तिकर्त्ता का आपत्ति को अस्वीकृत किया जाता है। अतएव परमिट आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।
47	BR09PA8537 (20.09.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3144, बेगूसराय से बखरी। भाया–मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–18.12.26 फिटनेश–19.09.27 बीमा–26.12.26 प्रदूषण–16.09.26	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

कार्यवाही संख्या – 03

परमिट प्रतिहस्ताक्षर आवेदन

क्र0 सं0	वाहन सं0/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
48	BR27GB-7074 (06.05.2026) श्री दिनेश कुमार, पिता–श्री मोहन प्रसाद, पता–कन्हाय नगर, सिद्धेश्वरपुर, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–430 डाउन, जमुई से गया। भाया–सिकन्दरा, अलीगंज, आढ़ामोड़, पकड़ीवर्मा, नवादा, हिसुआ एवं वजीरगंज। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.08.26 / 05.02.27 फिटनेश–05.05.28 बीमा–27.04.27 प्रदूषण–05.05.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
49	BR46P-4511 (20.11.2018) श्रीमती रंजना सिन्हा, पति–स्व0 अनिल कुमार, पता–दिनकर नगर, पी0एन0बी0 बैंक के नजदीक, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–5183, बरबीघा से बिहारशरीफ। भाया–N/A ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–18.08.26 / 18.11.26 फिटनेश–23.10.27 बीमा–08.10.26 प्रदूषण–18.10.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
50	BR21PA-8573 (10.01.2026) श्री सौरभ कुमार, पिता–श्री बिपिन कुमार, पता–माहरथ, काशीचक, बाजीदपुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–5426, शेखपुरा जमालपुर से बिहारशरीफ। भाया–शेखोपुर सराय, मायापुर एवं गिरियाक। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–17.10.26 फिटनेश–09.01.28 बीमा–29.10.26 प्रदूषण–09.01.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

51	BR52P-4103 (27.02.2026) श्री सुनील कुमार, पिता–श्री कपिलदेव ना0 सिंह, पता–दिनकर नगर, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–5183 डाउन, बिहारशरीफ से बरबीघा । भाया–N/A ट्रिप–07 (07 अप 07 डाउन)	टैक्स–17.08.26 फिटनेश–26.02.28 बीमा–08.02.27 प्रदूषण–26.02.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
52	BR52A-4103 (19.09.2011) श्री सुनील कुमार, पिता–श्री कपिलदेव ना0 सिंह, पता–फैजाबाद,, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–716 अप, मघरा से बरबीघा । भाया– बिहारशरीफ। ट्रिप–05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स–18.09.26 फिटनेश–10.12.26 बीमा–31.10.26 प्रदूषण–09.06.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
53	BR27P-5820 (09.04.2019) श्री अमरदीप कुमार, पिता–श्री अशोक साव, पता–परहटिया, नीमतला, हिसुआ, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–430 डाउन, जमुई से गया। भाया–सिकन्दरा, अलीगंज, आढामोड़, पकड़ीवर्मा, नवादा, हिसुआ एवं वजीरगंज। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–24.10.26 फिटनेश–09.09.26 बीमा–03.06.27 प्रदूषण–06.10.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
54	BR51P-2689 (28.04.2026) श्री सुजीत कुमार सिंह, पिता–श्री ललन कुमार सिंह, पता–नॉवगैन दुर्गापुर, संग्रामपुर, जिला–मुंगेर।।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–4665, पंजवारा से जमुई। भाया–ढाकामोड, बांका, भिटिया, रामसरिया मोड, साहेबगंज, बेलहर, संग्रामपुर, गंगटामोड़, लक्ष्मीपुर एवं मलेयपुर। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–24.10.26 फिटनेश–09.09.26 बीमा–03.06.27 प्रदूषण–06.10.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
55	BR27P-4953 (28.07.2017) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–पतालपुरी मंदिर, न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–1566, नवादा से सिकन्दरा। भाया–पकड़ीवर्मा एवं अलीगंज। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–27.04.27 फिटनेश–23.09.26 बीमा–17.10.26 प्रदूषण–20.02.27	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

56	BR08P-5756 (31.08.2025) श्रीमती सुनीता देवी, श्री सुधीर कुमार पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–1814, बेगूसराय से दरभंगा। भाया–सिमरिया पुल, बरौनी जीरोमाईल, टेघरा, बछवारा, दलसिंहसराय, मुशरीघरारी, समस्तीपुर, कल्याणपुर, विशनपुर एवं लहेरियासरय। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.26 प्रदूषण–30.08.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
57	BR08P-5753 (31.08.2025) श्रीमती रूपम कुमारी, श्री अमरजीत कुमार पता–पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–1813, बेगूसराय से दरभंगा। भाया–बरौनी जीरोमाईल, टेघरा, बछवारा, दलसिंहसराय, मुशरीघरारी, समस्तीपुर, कल्याणपुर, विशनपुर एवं लहेरियासरय। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–27.08.26 फिटनेश–30.08.27 बीमा–31.08.26 प्रदूषण–30.08.26	अप्राप्त	प्रतिहस्ताक्षर परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

कार्यवाही संख्या – 04

प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन

क्र0 सं0	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त / अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
58	BR46B-7095 (09.11.2012) श्री निवास कुमार सिंह, पिता–स्व0 लखन प्रसाद सिंह, पता–हंसाडीह, जिला–जमुई।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया–महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–08.08.26 / 08.11.26 फिटनेश–24.03.27 बीमा–11.12.26 प्रदूषण–25.09.25	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46P-8081** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेवले स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आवेदक द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार गजट (असाधारण) अधिसूचना द्वारा प्रकाशित 23 अगस्त 2024 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत समय–सारणी (**Time-Table**) में प्रत्येक बार परिवर्तन / संशोधन हेतु रू0 4,000 /– का शुल्क अधिकारिक रूप से निर्धाति किया गया है। ➢ माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री निवास कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया	ट्रांसपोर्ट कंपनी **(AIR 1973 Patna page-373)** वाले केस का हवाला दे रहा है, वह करीब 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने 'मोटर वाहन अधिनियम, 1939, के तहत दिया गया था। वर्ष 1988 में नया मोटरयान अधिनियम, 1988 लागू हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम को बदल दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य राज्यों में भी माननीय न्यायालयों द्वारा समय–सारणी में परिवर्तन किये जा सकने के बिन्दु पर अधिकारिक न्याय निर्णय दिये गये हैं जिसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता को तदालोक में न्याय निर्णय समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संसोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	
59	BR46C-3247 (13.05.2014) श्री सुभाष कुमार सिंह, पिता–स्व0 लखन प्रसाद सिंह, पता–हंसाडीह, जिला–जमुई।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया–महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–12.11.26 फिटनेश–29.07.27 बीमा–15.09.26 प्रदूषण–23.11.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46P-6297** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आवेदक द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार गजट (असाधारण) अधिसूचना द्वारा प्रकाशित 23 अगस्त 2024 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन

अपर समाहर्त्ता-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री सुभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट	किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत समय–सारणी (**Time-Table**) में प्रत्येक बार परिवर्तन/ संशोधन हेतु रू0 4,000/– का शुल्क अधिकारिक रूप से निर्धाति किया गया है। ➢ माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी (**AIR 1973 Patna page-373**) वाले केस का हवाला दे रहा है, वह करीब 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने 'मोटर वाहन अधिनियम, 1939, के तहत दिया गया था। वर्ष 1988 में नया मोटरयान अधिनियम, 1988 लागू हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम को बदल दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य राज्यों में भी माननीय न्यायालयों द्वारा समय–सारणी में परिवर्तन किये जा सकने के बिन्दु पर अधिकारिक न्याय निर्णय दिये गये हैं जिसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता को तदालोक में न्याय निर्णय समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थांई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				आभारी रहूँगा/	
60	BR46P-5421 (21.03.2023) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता–स्व0 लखन प्रसाद सिंह, पता–हंसाडीह, नियर शिव मंदिर, जिला–जमुई।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया–महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–08 (08 अप 08 डाउन)	टैक्स–13.09.26 फिटनेश–24.04.27 बीमा–02.03.27 प्रदूषण–25.01.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46B-5081** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार. को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आवेदक द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार गजट (असाधारण) अधिसूचना द्वारा प्रकाशित 23 अगस्त 2024 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत समय–सारणी (Time-Table) में प्रत्येक बार परिवर्तन/ संशोधन हेतु रू0 4,000/– का शुल्क अधिकारिक रूप से निर्धाति किया गया है। ➢ माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी (**AIR 1973 Patna page-373**) वाले केस का हवाला दे रहा है, वह करीब 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने 'मोटर वाहन अधिनियम, 1939, के तहत दिया गया था। वर्ष 1988 में नया मोटरयान अधिनियम, 1988 लागू हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम को बदल दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य राज्यों में भी माननीय न्यायालयों द्वारा समय–सारणी में परिवर्तन किये जा सकने के बिन्दु पर अधिकारिक न्याय निर्णय दिये गये हैं जिसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता को तदालोक में न्याय निर्णय समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2026 में निर्गत किया गया है 4 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	
61	BR46P-5739 (19.01.2024) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता–स्व0 लखन प्रसाद सिंह, पता–हंसाडीह,, जिला–जमुई।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया–महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप–06 (06 अप 06 डाउन)	टैक्स–16.10.26 फिटनेश–18.01.28 बीमा–16.01.27 प्रदूषण–28.01.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46C-6981** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/	➢ आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या समान है। ➢ आवेदक द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार गजट (असाधारण) अधिसूचना द्वारा प्रकाशित 23 अगस्त 2024 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत समय–सारणी (**Time-Table**) में प्रत्येक बार परिवर्तन / संशोधन हेतु रू0 4,000/– का शुल्क अधिकारिक रूप से निर्धाति किया गया है। ➢ माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी (**AIR 1973 Patna page-373**) वाले केस का हवाला दे रहा है, वह करीब 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने 'मोटर वाहन अधिनियम, 1939, के तहत दिया गया था। वर्ष 1988 में नया मोटरयान अधिनियम, 1988 लागू हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम को बदल दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य राज्यों में भी माननीय न्यायालयों द्वारा समय–सारणी में परिवर्तन किये जा सकने के बिन्दु पर अधिकारिक न्याय निर्णय दिये गये हैं जिसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता को तदालोक में न्याय निर्णय समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः.बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2025 में निर्गत किया गया है 1 साल 1 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	
62	BR27G-4953 (04.10.2012) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–नेपुरा, पार्वती, काशीचक, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3274 डाउन, नवादा 3 नं0 बस स्टैण्ड से महिसौढ़ी चौक जमुई। भाया–पकड़ीवर्मा, आढ़ामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–03.04.27 फिटनेश–16.02.27 बीमा–15.11.26 प्रदूषण–23.01.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46P-6297** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3274 डाउन नवादा 3 नं0 बस स्टैण्ड से महिसौढ़ीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आवेदक द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार गजट (असाधारण) अधिसूचना द्वारा प्रकाशित 23 अगस्त 2024 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत समय–सारणी (**Time-Table**) में प्रत्येक बार परिवर्तन/ संशोधन हेतु रू0 4,000/– का शुल्क अधिकारिक रूप से निर्धाति किया गया है। ➢ माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी (**AIR 1973 Patna page-373**) वाले केस का हवाला दे रहा है, वह करीब 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने 'मोटर वाहन अधिनियम, 1939, के तहत दिया गया था। वर्ष 1988 में नया मोटरयान अधिनियम, 1988 लागू हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम को बदल दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य राज्यों में भी माननीय न्यायालयों द्वारा समय–सारणी में परिवर्तन किये जा

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई	सकने के बिन्दु पर अधिकारिक न्याय निर्णय दिये गये हैं जिसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता को तदालोक में न्याय निर्णय समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 साल 8 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्त्ता नवादा स्टैण्ड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्त्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरूद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	
63	BR27RA-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3208 डाउन, नवादा से महिसौढ़ी चौक जमुई। भाया–पकड़ीवर्मा, आढ़ामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–14.10.26 फिटनेश–16.04.28 बीमा–27.03.27 प्रदूषण–16.04.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46B-5081** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3208 डाउन नवादा से महिसौढ़ीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आवेदक द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार गजट (असाधारण) अधिसूचना द्वारा प्रकाशित 23 अगस्त 2024 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत समय–सारणी (**Time-Table**) में प्रत्येक बार परिवर्तन/ संशोधन हेतु रू0 4,000/– का शुल्क अधिकारिक

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय	रूप से निर्धाति किया गया है। ➢ माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी **(AIR 1973 Patna page-373)** वाले केस का हवाला दे रहा है, वह करीब 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने 'मोटर वाहन अधिनियम, 1939, के तहत दिया गया था। वर्ष 1988 में नया मोटरयान अधिनियम, 1988 लागू हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम को बदल दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य राज्यों में भी माननीय न्यायालयों द्वारा समय–सारणी में परिवर्तन किये जा सकने के बिन्दु पर अधिकारिक न्याय निर्णय दिये गये हैं जिसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता को तदालोक में न्याय निर्णय समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

64	BR52P-6553 (03.04.2025) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3162, नवादा से जमुई। भाया–पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–02.04.27 फिटनेश–02.04.27 बीमा–25.03.27 प्रदूषण–22.04.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46P-8081** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेलवे स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आवेदक द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार गजट (असाधारण) अधिसूचना द्वारा प्रकाशित 23 अगस्त 2024 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत समय–सारणी **(Time-Table)** में प्रत्येक बार परिवर्तन/ संशोधन हेतु रू0 4,000/– का शुल्क अधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया है। ➢ माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी **(AIR 1973 Patna page-373)** वाले केस का हवाला दे रहा है, वह करीब 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने 'मोटर वाहन अधिनियम, 1939, के तहत दिया गया था। वर्ष 1988 में नया मोटरयान अधिनियम, 1988 लागू हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम को बदल दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य राज्यों में भी माननीय न्यायालयों द्वारा समय–सारणी में परिवर्तन किये जा सकने के बिन्दु पर अधिकारिक न्याय निर्णय दिये गये हैं जिसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता को तदालोक में न्याय निर्णय समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 1 साल 2 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का	

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्त्ता नवादा स्टैण्ड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्त्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरूद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	
65	BR27GB-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला–नवादा।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3162, नवादा से महिसौढ़ी चौक,जमुई। भाया–पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–14.10.26 फिटनेश–16.04.28 बीमा–27.03.27 प्रदूषण–16.04.27	➤ आपत्तिकर्त्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR46C-6981** का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वींकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है	➤ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➤ आवेदक द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार गजट (असाधारण) अधिसूचना द्वारा प्रकाशित 23 अगस्त 2024 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत समय–सारणी (**Time-Table**) में प्रत्येक बार परिवर्तन/ संशोधन हेतु रू0 4,000/– का शुल्क अधिकारिक रूप से निर्धाति किया गया है। ➤ माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी (**AIR 1973 Patna page-373**) वाले केस का हवाला दे रहा है, वह करीब 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने 'मोटर वाहन अधिनियम, 1939, के तहत दिया गया था। वर्ष 1988 में नया मोटरयान अधिनियम, 1988 लागू हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम को बदल दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य राज्यों में भी माननीय न्यायालयों द्वारा समय–सारणी में परिवर्तन किये जा सकने के बिन्दु पर अधिकारिक न्याय निर्णय दिये गये हैं जिसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता को तदालोक में न्याय निर्णय समर्पित

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है/ उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया	करने का निदेश दिया गया। साथ ही समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्त्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 महीना के बाद आवेदनकर्त्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा /	
66	BR09PA-9164 (06.06.2024) श्री अजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–05.06.26 फिटनेश–17.06.28 बीमा–28.04.27 प्रदूषण–11.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः बेगूसराय में प्रस्थान समय 07:42 के स्थान पर 07:39 को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 80 (3) के नियमों के तहत संशोधन की स्वीकृति दी जाती है।
67	BR08P-5934 (24.02.2026) श्री सुनीता देवी (U/LA B.S.R.T.C.) पति–श्री सुधेर कुमार, पता–पहसारा, बभनगामां, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल।	टैक्स–16.08.26 फिटनेश–23.02.28 बीमा–16.02.27 प्रदूषण–23.02.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः बेगूसराय में प्रस्थान समय 07:28 के स्थान पर 07:26 को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 80 (3) के नियमों के तहत संशोधन की स्वीकृति दी जाती है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

		ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)			
68	BR09PA-9544 (06.11.2024) श्री अमरजीत कुमार पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, बभनगॉवा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया–भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–29.10.26 फिटनेश–05.11.26 बीमा–18.11.26 प्रदूषण–09.11.26	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री पिंकेश कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR08P-5839** का कहना है कि आवेदनकर्त्ता श्री अमरजीत कुमार, वाहन सं0–**BR09PA-9544** को दिनांक–29.04.2026 की बैठक की कार्यवली 06 क्रमांक–42 में प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय–सारणी दो अप दो डाउन में एक अप एक डाउन का आदेश दिया गया था जो कि अभी तक एक अप एक डाउन का ट्रिप कटौती नहीं हुआ है। आवेदनकर्त्ता श्री अमरजीत कुमार ने प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन करते हुए समय–सारणी का संशोधन के लिए आवेदन किए हैं जो कि प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध है। जब तक ट्रिप कटौती कर समय–सारणी का प्रकाशन कार्यालय द्वारा नहीं होता है तब तक परमिट के समय–सारणी में संशोधन करना प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन होगा। अतः महोदय से अनुरोध है कि इस आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। प्राधिकार के निर्णय का छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है।	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आपत्तिकर्त्ता द्वारा संशोधित समय–सारणी पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। परन्तु आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–29.04.2026 में लिये गये निर्णयानुसार दो अप दो डाउन के स्थान पर एक अप एक डाउन के आदेश का उल्लेख किया गया है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। आवेदनकर्त्ता द्वारा दो अप दो डाउन के स्थान पर एक अप एक डाउन पर परिचालन हेतु प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि0–29.04.2026 में लिये गये निर्णयानुसार रू0 10,000/–(दस हजार रूपये) का अर्थदण्ड की राशि ओग्रास के माध्यम से दिनांक–12.06.2026 को तृतीय एवं चतुर्थ ट्रिप की कटौती के साथ कार्यालय में समर्पित किया गया है। आवेदनकर्त्ता द्वारा प्रथम ट्रिप के समय–सारणी में संशोधन का आवेदन समर्पित किया गया है। मार्ग संख्या भिन्न रहने की स्थिति में बेगूसराय में प्रस्थान समय 11:45 के स्थान पर 11:43 को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 80 (3) के नियमों के तहत संशोधन की स्वीकृति दी जाती है।
69	BR09PA-8164 (06.04.2023) श्रीमती कुमकुम देवी, पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3144, बेगूसराय से बखरी। भाया–मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–04.10.26 फिटनेश–05.04.27 बीमा–08.04.27 प्रदूषण–11.06.27	➢ आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह, वाहन सं0–**BR06PC-9933** का कहना है कि विषयांकित मामले में आवेदक श्रीमती कुमकुम देवी ने स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट	➢ आवेदनकर्त्ता का मार्ग संख्या 3144 बेगूसराय से बखरी है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या 3181 बेगूसराय से बखरी है। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग संख्या भिन्न है। ➢ आवेदक द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार गजट (असाधारण) अधिसूचना द्वारा प्रकाशित 23 अगस्त 2024 के माध्यम से बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है। नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमे कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसेसिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्रीमती कुमकुम देवी के द्वारा अपने स्थाई परमिट जिसे इस प्राधिकार के द्वारा पिछले बैठक में स्वीकृत हुआ है और अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है के द्वारा दाखिल समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और महोदय उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन	किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत समय–सारणी (Time-Table) में प्रत्येक बार परिवर्तन/ संशोधन हेतु रू0 4,000/– का शुल्क अधिकारिक रूप से निर्धाति किया गया है। ➢ माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी (**AIR 1973 Patna page-373**) वाले केस का हवाला दे रहा है, वह करीब 53 वर्ष पुराना है और वह पुराने 'मोटर वाहन अधिनियम, 1939, के तहत दिया गया था। वर्ष 1988 में नया मोटरयान अधिनियम, 1988 लागू हुआ, जिसमें पुराने अधिनियम को बदल दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि अन्य राज्यों में भी माननीय न्यायालयों द्वारा समय–सारणी में परिवर्तन किये जा सकने के बिन्दु पर अधिकारिक न्याय निर्णय दिये गये हैं जिसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता को तदालोक में न्याय निर्णय समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही समय–सारणी में परिवर्तन के बिन्दु पर विस्तृत आधार प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

				नहीं किया जा सकता है। अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते है। उक्त प्रावधानों की गलत ब्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है। महोदय मैंने अपने वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय क्योकि आवेदक के द्वारा जानबूझ कर उक्त प्रस्ताव दाखिल किया गया है ताकि मेरे आवेदित परमिट और निर्गत परमिट पर वाहन परिचालन नहीं हो सके। मैंने पूर्व में भी उक्त मार्ग पर वाहन स्वामी के द्वारा 6 से 8 खेपो का परमिट प्राप्त किया गया है जिसपर वाहन का परिचालन उक्त के अनुरूप नहीं होता है जिसकी जाँच हेतु मैंने आवेदन भी दाखिल किया है परंतु कोई निर्णय आजतक नहीं हो सका है । उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।	
70	BR09PA-8534 (19.09.2023) श्री बिनीत कुमार, पिता–रामनंदन सिंह, पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	प्रकाशन–08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 डाउन, बेगुसराय से शकरपुरा। भाया–मंझौल एवं बखरी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–04.10.26 फिटनेश–05.04.27 बीमा–08.04.27 प्रदूषण–11.06.27	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त अतः बेगूसराय में प्रस्थान समय 13:57 के स्थान पर 13:52 को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 80 (3) के नियमों के तहत संशोधन की स्वीकृति दी जाती है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

कार्यवाही संख्या – 05

परमिट नवीकरण आवेदन

क्र0 सं0	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
71	BR52A-5613 (11.06.2013) श्रीमती निर्मला देवी, पति–श्री अविनाश कुमार, पता–न्यू एरिया पतालपुरी मंदिर गोण्डापुर, जिला–नवादा।	अधिसूचित मार्ग संख्या–269, मुंगेर से नवादा, भाया–धरहारा, मेदनीचौकी, सूर्यगढ़ा, विद्यापीठ, लखीसराय, बाईपास मोड़, लखीसराय, हलसी, सिकन्दरा, अलीगंज आढ़ामोड़ एवं पकड़ीवर्मा। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.05.27 फिटनेश–10.01.27 बीमा–16.06.27 प्रदूषण–09.06.27		मोटरयान अधिनियम, 1988 के धारा 81 कंडिका 2 के तहत् परमिट नवीकरण आवेदन को स्वीकृति दी जाती है।
72	BR46B-7776 (05.09.2012) श्री अविनाश कुमार, पिता–श्री बच्चु सिंह, पता–नेपुरा, पार्वती, काशीचक, जिला–नवादा।	अधिसूचित मार्ग संख्या–3162, नवादा से महिसौढ़ी चौक,जमुई। भाया–पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–04.03.27 फिटनेश–24.03.27 बीमा–15.03.27 प्रदूषण–18.03.27		मोटरयान अधिनियम, 1988 के धारा 81 कंडिका 2 के तहत् परमिट नवीकरण आवेदन को स्वीकृति दी जाती है।
73	BR09R-1044 (08.09.2014) श्री धर्मबीर सहनी, पिता–श्री सुधीर सहनी, पता–बलुआही, कोशी कॉलेज, खगड़िया, जिला–खगड़िया।	अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–07.09.26 फिटनेश–18.03.27 बीमा–18.09.26 प्रदूषण–27.01.27		मोटरयान अधिनियम, 1988 के धारा 81 कंडिका 2 के तहत् परमिट नवीकरण आवेदन को स्वीकृति दी जाती है।
74	BR51P-1445 (06.01.2020) श्री अरूण कुमार यादव, पिता–श्री खजांची यादव, पता–समीर नगर, कोशी कॉलेज, चित्रगुप्त नगर, जिला–खगड़िया।	अधिसूचित मार्ग संख्या–3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–23.09.26 फिटनेश–03.04.28 बीमा–13.02.27 प्रदूषण–22.09.26		मोटरयान अधिनियम, 1988 के धारा 81 कंडिका 2 के तहत् परमिट नवीकरण आवेदन को स्वीकृति दी जाती है।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर

कार्यवाही संख्या – 06

स्टॉफ बस परमिट आवेदन

क्र0 सं0	वाहन सं0 / निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग / दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति	प्राधिकार का निर्णय
75	BR21P-6773 (27.03.2020) श्री प्रिंस पी0 जे0, पिता–पंथा प्लालखल जोसेफ, पता–नारायणपुर, मानपुर, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	संत मेरिस स्कूल बरबीघा, शेखपुरा	टैक्स–25.09.26 फिटनेश–08.05.28 बीमा–26.04.27 प्रदूषण–07.10.26		स्वीकृति दी जाती है।
76	BR01PQ-7774 (29.01.2018) श्री प्रिंस पी0 जे0, पिता–पंथा प्लालखल जोसेफ, पता–नारायणपुर, बरबीघा, जिला–शेखपुरा।	संत मेरिस स्कूल बरबीघा, शेखपुरा	टैक्स–15.09.26 फिटनेश–08.05.27 बीमा–30.04.27 प्रदूषण–07.10.26		स्वीकृति दी जाती है।

अन्यान्य :–

1. सभी स्वीकृत स्थायी परमिट वाहन स्वामी को आदेश दिया जाता है कि पूर्व से निर्गत परमिट प्रत्यार्पित करते हुए अपना स्वीकृत परमिट अद्यतन मान्य कागजातों, वाहन के आगे पीछे भाग के फोटो के साथ एक माह के अन्दर वांछित अधिभार एवं प्रक्रिया शुल्क जमा कर आगामी बैठक से पूर्व निर्गत करवा लें। अन्यथा अगली बैठक में इसे रद्द कर दिया जायेगा।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :–सा0–01–01 / 2025 415 /परि0, मुंगेर, दिनांक– 25/08 /2026

प्रतिलिपि :–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।